प्रेषक,

मदन मोहन

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी जनपद-जौनपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-28180/प्रो0अनु0(2)/273/2024(बैठक 17.09.2024),दिनांक 18.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह, मौजा काजीहद, थाना-नेवढिया, जनपद-जौनपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 24.01.1996 को ब्लाक प्रमुख के चुनाव की रंजिश के कारण अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, राइफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-340/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,307/149,148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट) जौनपुर के आदेश दिनांक 30.10.2009 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.08.2011 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 12.09.2024 तक 15 वर्ष 08 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 02 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 12.09.2024 तक 51 वर्ष, 06 माह (रजि0नं0-1 के अनुसार) है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97 दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 09-(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 कि0एल0 जे0 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराधों की प्रकृति समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बंदी पुनः अपराधों में लिप्त होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बंदी को जेल में निरूद्ध रहने से समाज में भय मुक्त वातावरण की दिशा को बल मिलता है, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा सामान्य है। तद्नुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर की आख्या/संस्तुति एवं मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा बन्दी द्वारा दिनांक 07.02.2024 को प्रातःकाल जेल खुलने पर अन्य बन्दियों से झगड़ा कर 01 बन्दी को घायल किए जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह पुत्र गजराज सिंह को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी आलम सिंह उर्फ विजय प्रताप सिंह (बन्दी सं0-27543) पुत्र श्री गजराज सिंह, निवासी जनपद-जौनपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-169/2024/1537(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-486/2023 आलम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 16.10.2023 एवं 06.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।